भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 967

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता

967. कुमारी सुधा आर. :

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-वार और जिला-वार, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल विकास पाठ्यक्रम पूरा करने पर लघु या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों की कुल संख्या राज्य-वार और जिला-वार, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में कितनी है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य, विशेष रूप से मयिलादुथुराई और तंजावुर जिलों के लिए इसके विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) जी हां। सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित समाज के विभिन्न वर्गों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. वित्त सेवा विभाग - सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई), अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 08.04.2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, तीन ऋण

श्रेणियों में कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, व्यवसाय सेवा क्षेत्रों अर्थात शिशु (50,000/- रुपए तक का ऋण), किशोर (50,000/- रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक का ऋण) और तरूण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण) में आय सृजन कार्यकलापों के लिए स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है। स्कीम की शुरुआत के बाद से जून 2024 तक पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल 48.78 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, जिनमें से 5.55 करोड़ के ऋण तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत किए गए हैं।

दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) स्कीम को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने देश भर में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को 2.35 लाख से अधिक ऋण की सुविधा प्रदान की है, जिनमें से तमिलनाडु राज्य में जून 2024 तक कुल 0.22 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

तमिलनाडु राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएमवाई और एसयूपीआई के अंतर्गत एससी/एसटी उद्यमियों को स्वीकृत ऋणों की जिलेवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट-अप, इनोवेशन और आईपीआर डिवीजन ने तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित अखिल भारतीय आधार पर आईसीटी डोमेन में स्वदेशी उत्पादों को विकसित करने के लिए नवाचार आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्टार्टअप केंद्रित कार्यक्रम/स्कीम शुरू की हैं। ये पहल जातिगत भेदभाव के बिना स्टार्टअप और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हैं और एससी और एसटी के लिए भी कार्यान्वित हैं। कुछ प्रमुख पहलों को यहां स्पष्ट किया गया है:

(i) टाइड 2.0 स्कीम: आईओटी, एआई ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्टअप का सहयोग करने में कार्यरत इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टाइड 2.0) स्कीम वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर राष्ट्रीय चिंता के सात विषयगत क्षेत्रों में तकनीकी-स्टार्टअप को व्यापक सहायता प्रदान करना है। समर्थित विषयगत क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन (डिजिटल भुगतान सहित), अवसंरचना और परिवहन और पर्यावरण और स्वच्छ तकनीक हैं। यह स्कीम उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में इंक्यूबेशन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के साथ तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही

है। इस स्कीम की परिकल्पना पांच वर्षों की अवधि में लगभग 2000 तकनीकी स्टार्ट-अप को इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। टाइड 2.0 स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित 6 पोषक केंद्र तमिलनाडु राज्य में टाइड 2.0 केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं:

क्र.सं.	**टाइड 2.0 केंद्र का नाम**	**केंद्र का संबंध किस जिले से है**	**स्टार्ट-अप सहायता प्राप्त**
1.	फोर्ज एक्सेलेरेटर (कोयंबटूर इनोवेशन बिजनेस इनक्यूबेटर) कोयंबटूर	कोयंबटूर	32
2.	पीएसजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरियल पार्क (पीएसजी-एसटीईपी) कोयंबटूर	कोयंबटूर	26
3.	आईआईटीएम इन्क्यूबेशन सेल (आईआईटी मद्रास इन्क्यूबेशन सेल) चेन्नई	चेन्नई	38
4.	वेल्लोर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (वीआईटीटीबीआई) तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	38
5.	ऑयसिस प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	11
6.	वेल टेक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, वेल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवल्लुर	तिरुवल्लुर	18

(ii) फिनब्लू - फिनटेकसीओई - 5 वर्ष की अवधि में 58 स्टार्टअप के लक्षित लाभार्थी लक्ष्य के साथ फिनटेक स्टार्ट-अप का सहयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) चेन्नई में 11.13 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ फिनटेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। सीओई, को एमईआईटीवाई, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और एसटीपीआई से सहयोग मिलता है।

3. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके आवास के समीप रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के कारण सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% है और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ

पिछले अच्छे कार्यनिष्पादन के आधार पर सहयोग दिया जाता है। दूसरे ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए र 25 लाख रुपए है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पर्वतीय राज्यों के लिए 20%) है। स्थापना के बाद से, अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 में, 9.69 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है, जिससे अनुमानित ~79 लाख लोगों को रोजगार मिला है। लगभग 50% इकाइयाँ एससी/एसटी/महिलाओं द्वारा स्थापित की जाती हैं और 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। अगले 2 वर्षों (2024-25 से 2025-26) वित्त वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने 12.8 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता वाले 1.6 लाख नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में एससी और एसटी वर्ग के अंतर्गत सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की कुल संख्या और अनुमानित रोजगार सृजन **अनुबंध- II** में दिया गया है।

विगत 5 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जिला-वार एससी और एसटी श्रेणी के तहत पीएमईजीपी सहायता प्राप्त इकाइयों की कुल संख्या और अनुमानित रोजगार **अनुबंध-III** में दिया गया है।

4. **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (**एमओए एंड एफडब्ल्यु) - कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी एंड एबीसी**)** स्कीम: इस स्कीम के तहत**,** कृषि और किसान कल्याण विभाग**,** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**,** भारत सरकार की प्रमुख स्कीम कृष्णोन्नति स्कीम का कृषि विस्तार**,** विस्तार प्रभाग सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरा करने**,** कृषि विकास का सहयोग करने, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अर्हता रखने वाले बेरोजगार युवाओं को अवसर प्रदान करने और लाभकारी स्वरोजगार पैदा करने के लिए अप्रैल, 2002 से एक केंद्रीय क्षेत्र घटक**,** "कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी और एबीसी) की स्थापना" कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज**),** हैदराबाद प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड**)** एसी&एबीसी कार्यक्रम के सब्सिडी घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। मैनेज के साथ एमओयू के तहत चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से मैनेज को देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड अपफ्रंट समग्र सब्सिडी का प्रावधान है। महिलाओं**,** एससी/एसटी और पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सब्सिडी 44% और अन्य श्रेणियों के लिए 36% है। व्यक्तिगत मामले में 20 लाख रुपए तक और समूह परियोजनाओं (5 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के समूह द्वारा स्थापित उद्यमों के लिए) के मामले में 100 लाख रुपए तक के ऋण के लिए सब्सिडी स्वीकार्य है।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) - निधि-प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई), निधि-समावेशी प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर (आईटीबीआई) कार्यक्रम के माध्यम से युवा नवप्रवर्तकों और उद्यमियों का सहयोग करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न हिस्सों में महानगरीय शहरों, टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की है। इन केंद्रों के माध्यम से, टियर-II और टियर-III शहरों के युवाओं को किसी भी सामाजिक स्थिति के बढ़ावा देने के लिए प्रोटोटाइप/उत्पादों के विकास के लिए स्टार्टअप्स को सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय - स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत उप-स्कीम गैर-छोटे उद्यमों को स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या उनके परिवार के सदस्यों का सहयोग करती है। कृषि क्षेत्र. एसवीईपी को 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है, जिसमें 358 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, 235 डीपीआर को मंजूरी दी गई है और 2.98 लाख उद्यमों को सहयोग दिया गया है। हालाँकि, यह स्कीम विशेष रूप से एससी/एसटी आबादी पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। एसवीईपी को तमिलनाडु राज्य में 10 ब्लॉकों में मंजूरी दी गई है। विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक
1	तमिलनाडु	कांचीपुरम	तिरिपोरूर
2	तमिलनाडु	मदुरै	तिरूमंगलम
3	तमिलनाडु	नमक्कल	रासीपुरम और वेन्नंदुर (2)
4	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	उलुंदुरपेट
5	तमिलनाडु	कल्लाकुरिची	चिन्नासलेम
6	तमिलनाडु	तूतुकुडी	कोविलपट्टी
7	तमिलनाडु	मदुरै	सेदापट्टी
8	तमिलनाडु	चेंगलपेट	अचरपक्कम
9	तमिलनाडु	त्रिची	पुल्लमपाडी
10	तमिलनाडु	विरुधुनगर	वेम्बकोट्टई

एसवीईपी के तहत तमिलनाडु राज्य में सहयोग प्राप्त जिला/ब्लॉकवार एससी/एसटी उद्यमियों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	कुल अनुसूचित जाति उद्यमी	कुल एसटी उद्यमी
1	चेंगलपट्टू	तिरुपुरुर	1112	24
2	कल्लाकुरिची	उलुंदुरपेट	443	0
3	मदुरै	तिरुमनागलम	30	0
4	नमक्कल	रासीपुरम और वेन्नादुर	55	0
			1,640	**24**

7. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। पहल के तहत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी हैं और तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए गए हैं। ऐसी सरकारी पहलों का विवरण **अनुबंध-IV** के रूप में दिया गया है।

8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्र प्रायोजित स्कीम, जिसका नाम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) है, कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और समूहों और सहकारी समितियों की क्षमता का उपयोग करने, इन उद्यमों के उन्नयन और औपचारिकीकरण का सहयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्कीम में एक क्षमता निर्माण घटक है, जिसमें जिला स्तर पर क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुशंसित सभी आवेदकों अर्थात व्यक्तियों और समूहों (एसएचजी/ एफपीओ/सहकारी समितियों) के लिए 24 घंटे/3 दिन, खाद्य प्रसंस्करण ईडीपी (उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम) प्रशिक्षण, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत पीएमएफएमई स्कीम के तहत सीड पूंजी के एसएचजी लाभार्थियों को समिति (डीएलसी) और 8 घंटे/1 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस क्षमता निर्माण घटक के तहत प्रशिक्षित तमिलनाडु राज्य के एससी/एसटी लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

(i) तमिलनाडु राज्य के लिए पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमएफएमई स्कीम के तहत एससी और एसटी उद्यमियों की कुल संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत हुआ है निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**वर्ग**	**एससी**	**एसटी**
1	डीएलसी लाभार्थी	1583	110
2	सीड पूंजी लाभार्थी (एसएचजी सदस्य)	1760 (व्यक्ति), 362 (समूह) 1 (कार्यकलाप समूह)	62 (व्यक्ति) 13 (समूह)

(ii) स्कीम के उपरोक्त घटक के तहत तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और तंजावुर जिलों में एससी/एसटी लाभार्थियों को प्राप्त सीड पूंजीगत लाभ इस प्रकार हैं:

क्र.सं	**जिला**	**सीड पूंजी वर्ग (एसएचजी सदस्य)**	**एससी**	**एसटी**
1	माइलादुत्रयी	व्यक्तिगत	13	1
2	तंजावुर	व्यक्तिगत	45	0

9. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित उद्यमियों के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है। इस संबंध में की गई पहलों का विवरण निम्न प्रकार है:

(i) निस्बड ने सीमांत आबादी सहित समाज के विभिन्न वर्गों में उद्यमशीलता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कौशल अर्जन और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। तमिलनाडु में इस परियोजना के माध्यम से कुल 90 एससी/एसटी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिले-वार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	जिला	एससी	एसटी
तमिलनाडु	मदुरै	6	2
	चेन्नई	10	0
	मदुरै	38	1
	विल्लुपुरम	19	1
	शिवगंगा	2	0
	त्रिवल्लुर	11	0
	कुल	**86**	**4**
	सकल योग	**90**	

(ii) निस्बड ने जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की। इस परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का जिला-वार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	जिला	एससी	एसटी
तमिलनाडु	चेन्नई	8	1
	मदुरै	31	1
	सलेम	68	11
	कुल	**107**	**13**
	सकल योग	**120**	

(iii) स्ट्राइव परियोजना - एमएसडीई के औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना के तहत, निस्बड उद्यमशीलता जागरूकता, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) में प्रशिक्षुओं (भावी प्रशिक्षकों) को परामर्श सहयोग प्रदान कर रहा है। तमिलनाडु में स्ट्राइव प्रोजेक्ट के तहत कुल 456 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिले-वार विवरण इस प्रकार है;

राज्य	जिला	एससी	एसटी
तमिलनाडु	चेन्नई	18	79
	गदग	199	121
	तुमकारु	14	25
	कुल	**231**	**225**
	सकल योग	**456**	

(iv) पीएमजनमन - माननीय प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर, 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की एक स्कीम, प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 1 संघ राज्य क्षेत्र सहित 18 राज्यों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इन समुदायों को आम तौर पर मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/सहयोग से बाहर रखा गया था, और इसलिए इस मिशन के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय सहायता की आवश्यकता है। यह स्कीम 200 जिलों के लगभग 22,000 गांवों में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण अंत:क्षेपों पर केंद्रित है। मिशन में प्रमुख सहयोगों में से एक इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहूउद्देशीय केंद्रों, जनजातीय छात्रावासों, प्रशिक्षण कौशल, वनधन विकास केंद्र के उद्यमशीलता विकास में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। तमिलनाडु में पीएमजनमन परियोजना के तहत कुल 627 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिलेवार विवरण इस प्रकार है;

राज्य	जिला	पीवीटीजी
तमिलनाडु	अरियालूर	305
	चेंगलपट्टू	170
	कोयंबटूर	46
	नमक्कल	2
	नीलगिरी	104
	कुल	**627**

अनुबंध-I

"तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 967 के उत्तर के संदर्भ में

पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में पीएमएमवाई और एसयूपीआई के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को स्वीकृत ऋणों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)		स्टैंड अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई)	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अरियालूर	23,055	3,259	0	0
2	चैंगलपट्टू	40,888	3,907	9	0
3	चेन्नई	202,755	15,654	489	13
4	कोयंबटूर	53,630	9,473	178	10
5	कुड्डालोर	177,717	27,622	51	7
6	धर्मपुरी	53,923	6,558	33	4
7	डिंडीगुल	38,988	3,868	66	35
8	इरोड	64,625	8,440	88	3
9	कल्लाकुरिची	22,189	1,492	2	0
10	कांचीपुरम	152,231	49,981	121	4
11	कन्नियाकुमारी	30,216	6,521	109	10
12	करूर	11,451	1,002	16	5
13	कृष्णागिरी	36,986	9,600	25	2
14	मदुरै	40,125	5,194	207	17
15	माइलादुत्रयी	14,018	259	12	0
16	नागपट्टिनम	93,179	4,478	18	0
17	नमक्कल	68,657	9,934	35	8
18	नीलगिरी	72,909	4,964	38	7
19	पेरम्बलूर	13,038	357	32	0
20	पुदुक्कोट्टई	28,500	2,474	24	2
21	रामनाथपुरम	30,522	4,721	21	2
22	रानीपेट	14,346	655	0	0
23	सलेम	78,152	13,670	114	8
24	शिवगंगा	20,204	7,432	49	5
25	तेनकासी	6,127	789	1	0
26	तंजावुर	86,976	4,958	30	5
27	थैनी	25,680	2,273	36	0
28	तिरुवल्लुर	166,075	25,028	154	10
29	थिरुवरुर	116,642	12,685	24	1
30	तिरुचिरापल्ली	30,436	7,539	69	4
31	तिरुनेलवेली	99,729	41,474	128	3
32	तिरुपथुर	50,888	9,624	10	0
33	तिरुपूर	38,050	2,309	23	2
34	तिरुवन्नामलाई	39,930	6,075	129	10
35	तूतीकोरिन	101,860	33,488	48	8
36	वेल्लोर	146,971	51,426	106	3
37	विल्लुपुरम	119,763	29,601	89	26
38	विरुधुनगर	32,981	7,876	46	5
39	अन्य #	237,831	7,403	0	0
योग		**2,682,243**	**444,063**	**2,630**	**219**

 # कुछ एनबीएफसी/एमएफआई का जिलावार डेटा उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-II

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोजगार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन
1	अंडमान निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	329	2,632	303	2,424	414	3,312	526	4,208	1,216	9,728
3	अरुणाचल प्रदेश	1	8	-	-	-	-	1	8	-	-
4	असम	207	1,656	191	1,528	207	1,656	115	920	109	872
5	बिहार	206	1,648	198	1,584	194	1,552	398	3,184	701	5,608
6	चंडीगढ़-यूटी	2	16	1	8	7	56	2	16	1	8
7	छत्तीसगढ	302	2,416	286	2,288	294	2,352	259	2,072	299	2,392
8	दादरा नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	दमन और दीव	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	दिल्ली	15	120	7	56	7	56	6	48	6	48
11	गोवा	5	40	-	-	3	24	-	-	1	8
12	गुजरात	263	2,104	189	1,512	313	2,504	243	1,944	274	2,192
13	हरियाणा	409	3,272	296	2,368	307	2,456	298	2,384	250	2,000
14	हिमाचल प्रदेश	387	3,096	416	3,328	427	3,416	304	2,432	343	2,744
15	जम्मू कश्मीर	254	2,032	229	1,832	537	4,296	374	2,992	658	5,264
16	झारखंड	107	856	99	792	92	736	115	920	130	1,040
17	कर्नाटक	629	5,032	808	6,464	1,146	9,168	1,063	8,504	877	7,016
18	केरल	164	1,312	152	1,216	169	1,352	245	1,960	292	2,336
19	लद्दाख	1	8	1	8	2	16	-	-	-	-
20	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मध्य प्रदेश	132	1,056	447	3,576	921	7,368	725	5,800	653	5,224
22	महाराष्ट्र	843	6,744	502	4,016	627	5,016	510	4,080	374	2,992
23	मणिपुर	20	160	27	216	16	128	9	72	4	32
24	मेघालय	3	24	3	24	9	72	1	8	2	16
25	मिजोरम	3	24	3	24	4	32	1	8	-	-
26	नगालैंड	7	56	1	8	11	88	-	-	3	24
27	ओडिशा	277	2,216	313	2,504	393	3,144	320	2,560	248	1,984

28	पुदुचेरी	13	104	8	64	16	128	5	40	6	48
29	पंजाब	569	4,552	417	3,336	502	4,016	423	3,384	370	2,960
30	राजस्थान	340	2,720	266	2,128	238	1,904	140	1,120	92	736
31	सिक्किम	7	56	5	40	7	56	1	8	6	48
32	तमिलनाडु	508	4,064	534	4,272	691	5,528	765	6,120	823	6,584
33	तेलंगाना	301	2,408	328	2,624	449	3,592	354	2,832	347	2,776
34	त्रिपुरा	100	800	117	936	143	1,144	99	792	93	744
35	उत्तर प्रदेश	785	6,280	1,109	8,872	1,405	11,240	1,279	10,232	1,685	13,480
36	उत्तराखंड	307	2,456	399	3,192	290	2,320	279	2,232	223	1,784
37	पश्चिम बंगाल	260	2,080	253	2,024	320	2,560	282	2,256	278	2,224

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की कुल संख्या और अनुमानित रोजगार सृजन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		सहायता प्राप्त इकाइयाँ	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**
1	अंडमान निकोबार	2	16	5	40	8	64	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	108	864	87	696	82	656	115	920	203	1,624
3	अरुणाचल प्रदेश	158	1,264	89	712	196	1,568	155	1,240	166	1,328
4	असम	421	3,368	353	2,824	474	3,792	310	2,480	271	2,168
5	बिहार	51	408	61	488	61	488	81	648	88	704
6	चंडीगढ़-यूटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	323	2,584	273	2,184	320	2,560	267	2,136	212	1,696
8	दादरा नगर हवेली	-	-	6	48	2	16	1	8	1	8
9	दमन और दीव	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-
10	दिल्ली	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
11	गोवा	2	16	4	32	2	16	1	8	3	24
12	गुजरात	120	960	142	1,136	171	1,368	127	1,016	94	752
13	हरियाणा	-	-	3	24	1	8	2	16	2	16
14	हिमाचल प्रदेश	117	936	107	856	171	1,368	128	1,024	107	856
15	जम्मू कश्मीर	83	664	73	584	226	1,808	175	1,400	235	1,880
16	झारखंड	149	1,192	130	1,040	162	1,296	167	1,336	206	1,648
17	कर्नाटक	169	1,352	188	1,504	307	2,456	305	2,440	286	2,288
18	केरल	12	96	6	48	19	152	16	128	13	104

19	लद्दाख	303	2,424	271	2,168	292	2,336	90	720	117	936
20	लक्षद्वीप	-	-	2	16	7	56	2	16	-	-
21	मध्य प्रदेश	78	624	256	2,048	567	4,536	466	3,728	368	2,944
22	महाराष्ट्र	112	896	92	736	113	904	91	728	79	632
23	मणिपुर	610	4,880	548	4,384	403	3,224	211	1,688	140	1,120
24	मेघालय	348	2,784	315	2,520	581	4,648	272	2,176	259	2,072
25	मिजोरम	756	6,048	805	6,440	645	5,160	410	3,280	401	3,208
26	नगालैंड	1,102	8,816	739	5,912	1,228	9,824	469	3,752	513	4,104
27	ओडिशा	122	976	115	920	214	1,712	169	1,352	94	752
28	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	पंजाब	3	24	1	8	-	-	-	-	1	8
30	राजस्थान	266	2,128	227	1,816	236	1,888	170	1,360	121	968
31	सिक्किम	27	216	25	200	38	304	34	272	68	544
32	तमिलनाडु	20	160	42	336	63	504	31	248	48	384
33	तेलंगाना	267	2,136	235	1,880	319	2,552	352	2,816	387	3,096
34	त्रिपुरा	197	1,576	192	1,536	215	1,720	147	1,176	116	928
35	उत्तर प्रदेश	18	144	27	216	28	224	27	216	31	248
36	उत्तराखंड	52	416	56	448	62	496	40	320	38	304
37	पश्चिम बंगाल	22	176	21	168	12	96	19	152	13	104

अनुबंध-III

पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु में अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की कुल संख्या और अनुमानित रोजगार सृजन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन	सहायता प्राप्त इकाइयाँ	रोजगार सृजन
1	अरियालूर	11	88	11	88	8	64	7	56	5	40
2	चेंगलपेट	0	0	13	104	21	168	22	176	24	192
3	चेन्नई	16	128	17	136	42	336	25	200	27	216
4	कोयंबटूर	14	112	12	96	5	40	21	168	15	120
5	कुड्डालोर	14	112	14	112	34	272	30	240	18	144
6	धर्मपुरी	9	72	17	136	7	56	6	48	10	80
7	डिंडीगुल	17	136	18	144	20	160	21	168	17	136
8	इरोड	8	64	17	136	8	64	9	72	18	144
9	कल्लाकुरिची	0	0	4	32	10	80	19	152	34	272
10	कांचीपुरम	15	120	20	160	23	184	28	224	20	160
11	कन्नियाकुमारी	2	16	1	8	5	40	3	24	3	24
12	करूर	7	56	8	64	14	112	33	264	16	128
13	कृष्णागिरी	9	72	7	56	11	88	13	104	6	48
14	मदुरै	15	120	25	200	24	192	31	248	34	272
15	**माइलादुत्रयी**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**24**	**49**	**392**	**29**	**232**
16	नागपट्टिनम	24	192	37	296	31	248	25	200	14	112
17	नमक्कल	8	64	17	136	24	192	23	184	39	312
18	नीलगिरी	7	56	12	96	12	96	18	144	13	104
19	पेरम्बलूर	8	64	15	120	16	128	19	152	14	112
20	पुडुकोट्टई	15	120	26	208	28	224	32	256	18	144
21	रामनाथपुअम	7	56	6	48	8	64	7	56	10	80
22	रानीपेट	0	0	0	0	8	64	20	160	20	160
23	सलेम	7	56	19	152	18	144	25	200	13	104
24	शिवगंगा	13	104	14	112	10	80	13	104	3	24
25	तेनकासी	0	0	4	32	4	32	11	88	19	152
26	**तंजावुर**	**44**	**352**	**34**	**272**	**61**	**488**	**51**	**408**	**85**	**680**
27	थैनी	15	120	9	72	6	48	10	80	15	120
28	तिरुचिरापल्ली	19	152	17	136	12	96	12	96	21	168
29	तिरुवल्लोर	57	456	29	232	47	376	41	328	46	368
30	थिरुवरुर	35	280	28	224	44	352	29	232	31	248

31	थूथुकुडी (तूतीकोरिन)	17	136	12	96	22	176	21	168	22	176
32	तिरुनेलवेली	18	144	13	104	19	152	12	96	16	128
33	तिरुपत्तूर	0	0	2	16	22	176	3	24	16	128
34	तिरुपुर	5	40	4	32	8	64	9	72	16	128
35	तिरुवन्नामलाई	17	136	18	144	12	96	20	160	17	136
36	वेल्लोर	24	192	13	104	9	72	11	88	37	296
37	विल्लुपुरम	19	152	18	144	21	168	19	152	27	216
38	विरुधुनगर	12	96	3	24	14	112	17	136	35	280

पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु में जिलावार सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की कुल संख्या और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोजगार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**जिला**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		सहायता प्राप्त इकाइयाँ	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**	**सहायता प्राप्त इकाइयाँ**	**रोजगार सृजन**
1	अरियालूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	चेंगलपेट	0	0	1	8	0	0	0	0	1	8
3	चेन्नई	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0
4	कोयंबटूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कुड्डालोर	0	0	0	0	1	8	1	8	1	8
6	धर्मपुरी	0	0	1	8	1	8	3	24	0	0
7	डिंडीगुल	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0
8	इरोड	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0
9	कल्लाकुरिची	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0
10	कांचीपुरम	0	0	2	16	17	136	2	16	22	176
11	कन्नियाकुमारी	0	0	0	0	1	8	1	8	1	8
12	करूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	कृष्णागिरी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
14	मदुरै	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**माइलादुत्रयी**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**8**	**1**	**8**
16	नागपट्टिनम	2	16	0	0	1	8	1	8	0	0
17	नमक्कल	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24
18	नीलगिरी	0	0	5	40	4	32	2	16	7	56
19	पेरम्बलूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पुडुकोट्टई	1	8	1	8	0	0	0	0	0	0
21	रामनाथपुअम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	रानीपेट	0	0	2	16	2	16	1	8	1	8

23	सलेम	2	16	3	24	10	80	0	0	2	16
24	शिवगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तेनकासी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**तंजावुर**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	थैनी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
28	तिरुचिरापल्ली	0	0	0	0	0	0	3	24	0	0
29	तिरुवल्लोर	0	0	0	0	1	8	1	8	0	0
30	थिरुवरुर	3	24	0	0	0	0	1	8	0	0
31	थूथुकुडी (तूतीकोरिन)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	तिरुनेलवेली	0	0	0	0	0	0	5	40	0	0
33	तिरुपत्तूर	0	0	1	8	0	0	0	0	1	8
34	तिरुपुर	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0
35	तिरुवन्नामलाई	7	56	6	48	4	32	0	0	2	16
36	वेल्लोर	3	24	12	96	13	104	6	48	4	32
37	विल्लुपुरम	1	8	7	56	5	40	2	16	0	0
38	विरुधुनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>अनुबंध- IV</u>

देश भर में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

1. स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान: 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक एक्शन प्लान का अनावरण किया गया था। एक्शन प्लान में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "फंडिंग सहयोग और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा, साझेदारी और इंक्यूबेशन "जैसे क्षेत्रों में फैले 19 एक्शन आइटम शामिल हैं। कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के लिए परिकल्पित सरकारी सहयोग, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी।

2. स्टार्टअप इंडिया: भावी योजना: स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उत्सव में 16 जनवरी 2021 को अनावरण किया गया, जिसमें स्टार्टअप के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योग्य स्कीमें, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता का निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करना शामिल है।

3. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस): किसी उद्यम के विकास के शुरुआती चरणों में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता आवश्यक है। इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप के लिए बनाने या बिगाड़ने की स्थिति प्रस्तुत करती है। इस स्कीम का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2021-22 से शुरू होने वाली 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के तहत 945 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

4. स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) स्कीम: सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एफएफएस की स्थापना की है। डीपीआईआईटी मानीटरिंग एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी।) एफएफएस की संचालन एजेंसी है। निधि स्कीम की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्र में कुल 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसने न केवल शुरुआती चरण, सीड चरण और विकास चरण में स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने की सुविधा, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

5. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस): सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स वीडीएफ) सेबी के तहत पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की स्थापना की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों

(एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी अर्थात डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करना है।

6. नियामक सुधार: व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने, पूंजी जुटाने में आसानी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 2016 से सरकार द्वारा 55 से अधिक नियामक सुधार किए गए हैं।

7. क्रय में आसानी: क्रय में आसानी को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन सभी डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक क्रय में पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्तों में ढील देने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप्स से सरकार द्वारा उत्पादों और सेवाओं के क्रय की सुविधा और बढ़ावा भी देता है।

8. श्रम और पर्यावरण विधानों के तहत स्व-प्रमाणन: स्टार्टअप को निगमन की तिथि से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण विधानों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।

9. 3 वर्ष के लिए आयकर छूट: 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद निगमित स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, उन्हें निगमन के बाद से 10 वर्षों में से निरंतर 3 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाती है।

10. स्टार्टअप्स के लिए तेजी से निकास: सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्मों' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे उन्हें अन्य कंपनियों के लिए 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर परिचालन बंद करने में सक्षम बनाया गया है।

11. अधिनियम (2019) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (VII) (बी) के प्रयोजन के लिए छूट: एक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viiख) के उपबंधों से छूट के लिए पात्र है।

12. बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहयोग: स्टार्टअप फास्ट-ट्रैक पेटेंट आवेदन परीक्षा और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) लॉन्च किया, जो स्टार्टअप्स को केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके उचित आईपी कार्यालयों में पंजीकृत सुविधाकर्ताओं के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल करने की सुविधा देता है। इस स्कीम के अंतर्गत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर पर सामान्य सलाह और अन्य देशों में आईपीआर की सुरक्षा और प्रचार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार किसी भी संख्या में पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं की पूरी फीस वहन करती है, और स्टार्टअप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट दाखिल करने में 80% की छूट और ट्रेडमार्क प्रस्तुत करने में 50% की छूट प्रदान की जाती है।

13. स्टार्टअप इंडिया हब: सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब लॉन्च किया, जो भारत में उद्यमशीलता इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे को खोजने, संपर्क करने और जुड़ने के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन मंच है। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंडों, सलाहकारों, शैक्षणिक संस्थानों, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स, कॉरपोरेट्स, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।

14. भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न जुड़ाव मॉडल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ने में सहायता करना है। यह अंतरराष्ट्रीय सरकार से सरकार साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने लगभग 20 देशों के साथ ब्रिज लॉन्च किया है जो साझेदार देशों के स्टार्टअप के लिए एक सॉफ्ट-लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

15. स्टार्टअप इंडिया शोकेस: स्टार्टअप इंडिया शोकेस देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन खोज मंच है, जिसे वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित स्टार्टअप के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुना जाता है। मंच पर प्रदर्शित स्टार्टअप स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे हैं। ये नवाचार फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये स्टार्टअप महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण नवाचार प्रदर्शित है। इकोसिस्टम हितधारकों ने इन स्टार्टअप्स का पोषण और सहयोग किया है, जिससे इस मंच पर उनकी उपस्थिति मान्य हुई है।

16. राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद: सरकार ने जनवरी 2020 में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन को अधिसूचित किया। पदेन सदस्यों के अलावा, परिषद में अनेक गैर-आधिकारिक सदस्य हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

17. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए): राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और इकोसिस्टम सहयोगियों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ नवीन उत्पादों या समाधानों और स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जो मापने योग्य सामाजिक प्रभाव का निष्पादन कर रहे हैं। विभिन्न ट्रैकों पर सभी फाइनलिस्टों को हैंडहोल्डिंग, इन्वेस्टर कनेक्ट, मेंटरशिप, कॉरपोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी सपोर्ट, दूरदर्शन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस पर स्टार्टअप चैंपियंस इत्यादि सहयोग प्रदान किया जाता है।

18. राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ): राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धी संघवाद की शक्ति का उपयोग करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की एक अनूठी पहल है। रैंकिंग कार्य का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रणालियों की पहचान करने, सीखने और बदलने की सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत सहयोग को उजागर करना है।

19. दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस: दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस कार्यक्रम एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जो पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की कहानियों को कवर करता है। इसे दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित किया जाता है।

20. स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक: सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आसपास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारक उद्यमिता का उत्सव मनाने और नवाचार को बढ़ावा देकर एक साथ लाना था।

21. असेंड: असेंड (एक्सेलेरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) के तहत, उद्यमशीलता के प्रमुख पहलुओं पर ज्ञान को सक्षम करने और बढ़ाने तथा स्टार्टअप बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखने के उद्देश्य से सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्टार्टअप और उद्यमशीलता एवं इन राज्यों में एक सुदृढ़ इकोसिस्टम पर संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

22. स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल को सिडबी के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सह-विकसित किया गया है, जो एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न उद्योगों, कार्यों, चरणों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के उद्यमियों को संगठित करने में सहायता करने के लिए स्टार्टअप और निवेशकों को पूंजी से जोड़ता है। पोर्टल विशेष रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है; अग्रणी निवेशकों/उद्यम पूंजी कोषों के सामने स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए शुरुआती चरण के स्टार्टअप देश में कहीं भी स्थित हैं।

23. नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (एमएएआरजी): देश के प्रत्येक भाग में स्टार्ट-अप्स के लिए मेंटरशिप की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्टार्ट-अप इंडिया इनिशिएटिव के तहत मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ (एमएएआरजी) प्रोग्राम विकसित और लॉन्च किया गया है।

****